

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019

जयपुर, दिनांक : 09.03.2019

आदेश


विभाग के संमसख्यक आदेश दिनांक 07.03.2019 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्रम संख्या 330 पर अंकित चिकित्सक के नाम में डा. चन्द्रप्रकाश शर्मा के स्थान पर डा. चन्द्रप्रभा शर्मा संशोधित कर पढा जावे।

क्रम संख्या 311 पर अंकित चिकित्सक के पदनाम में कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) के स्थान पर वरिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) संशोधित कर पढा जावे।


क्रम संख्या 227 पर अंकित डा. भरत कुमार पारीक, चिकित्सा अधिकारी का पीएचसी कापरडा बिलाडा जोधपुर सीएचसी बोरुन्दा, जोधपुर किया गया स्थानान्तरण विलोपित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्यमंत्री, महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राज.
5. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
7. संबंधित अधिकारी
8. कम्प्यूटर सेल/ निजी /रक्षित पत्रावली
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव